102

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 456–तीन/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–3–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 474/निगरानी/2005–06.

रामाधार पटेल तनय श्री रघुनन्दन पटेल
निवासी ग्राम रीठी तहसील गुढ़
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1. भैयालाल पटेल
2. छोटेलाल पटेल
3. यज्ञसेन पटेल तनय श्री रामा प्रसाद पटेल
4. बृजवासी पटेल तनय श्री माखन पटेल

उक्त समस्त निवासी ग्राम रीठी, तहसील
गुढ़ जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदकगण

....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 14/11/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 03–3–2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक भैयालाल ने तहसीलदार गुढ़ के समक्ष रास्ता खुलवाए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने दिनांक 23–12–03 को आदेश पारित किया जससे दुखी होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा अपील प्रस्तुत की

गई। अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ ने प्रकरण कमांक 25 / अ—13 / 03—04 में पारित आदेश दिनांक 30—4—04 को अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23—12—03 निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र0क0 4 / अ—13 / 04—05 में दिनांक 01—9—05 को आदेश पारित कर किया जिससे विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 28—4—06 को अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि राजस्व मण्डल के निर्देश के अनुसार उभय पक्षों को समुचित रूप से सुनवाई एवं साक्ष्य तथा सूचना उपरांत स्थल निरीक्षण टीप एवं पंचनामा एवं नजरी नक्शा तेयार कर विधि अनुसार बोलता हुआ आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 03—3—07 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3 / उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया।

4 / अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 05—2—02 को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किये जाने से अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ ने दिनांक 30—4—04 को राजस्व मण्डल के आदेश के निर्देश के पालन में कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर रिकार्ड मंगाया तथा रिकार्ड आने तक प्रकरण में स्थगन प्रदान किया। अपर आयुक्त के समक्ष अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश को यथावत रखते अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया है। अपर

आयुक्त द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के तारतम्य में कार्यवाही नहीं पाते हुये अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश को उचित माना है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 03–3–2007 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर